

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज०)

मुकदमा

132/2019

किस्म मुकदमा

धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक

21.05.2019

निर्णय दिनांक

24.10.2019

उनवान सरकार बनाम रामधन पुत्र मामनराम जाति जाट निवासी भिरं तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज०)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का भिरं ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्रम भिरं की राजकीय भूमि गै०मु० जोहड़ ख०न० 1447/872 कुल रकबा 36.17 है० किस्म गै०मु० जोहड़ में से 0.03 है० पर अतिक्रमी रामधन पुत्र मामनराम जाति जाट निवासी भिरं ने अवैध रूप से टीनशैड व ईटों का मलबा डालकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में टीनशैड व ईटों का मलबा डालकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से टीनशैड व ईटों का मलबा डालकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 7.90/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख० न० 1447/872 लगान 0.70 की 50 गुणा जुर्माना राशि 35/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

59
2 35
Suman

का
(मांगेराम/पूनिया)
तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)